

उत्तराखण्ड शासन
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
संख्या: 635-XXVIII-3-2010
देहरादून, दिनांक 12 जुलाई, 2010

अधिसूचना

घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 की धारा 2 (ज) के अन्तर्गत घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं को नियमानुसार चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराये जाने के प्रयोजन से उत्तराखण्ड के समस्त जिला अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को चिकित्सा सुविधा केन्द्र के रूप में एतद्द्वारा उद्घोषित किया जाता है।




(उमाकान्त पंवार)
सचिव

संख्या: 635 (1)/XVII(2)/2010/तददिनांक।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
3. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्य मंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
6. आयुक्त, कुमाऊँ/गढ़वाल मण्डल, उत्तराखण्ड।
7. महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड।
8. निदेशक, आई0सी0डी0एस0, उत्तराखण्ड, देहरादून।
9. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
10. एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून।
11. उपनिदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री रूडकी, हरिद्वार को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश को गजट के विधायी परिशिष्ट के भाग- 4, खण्ड (ख) में मुद्रित कराने तथा इसकी 200 प्रतियां शासन को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
12. गार्ड फाईल।



(उमाकान्त पंवार)
सचिव